उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410765

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: लखनऊ
3.	ग्राम	: अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.)	: भूमि खसरा संख्या-710
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर

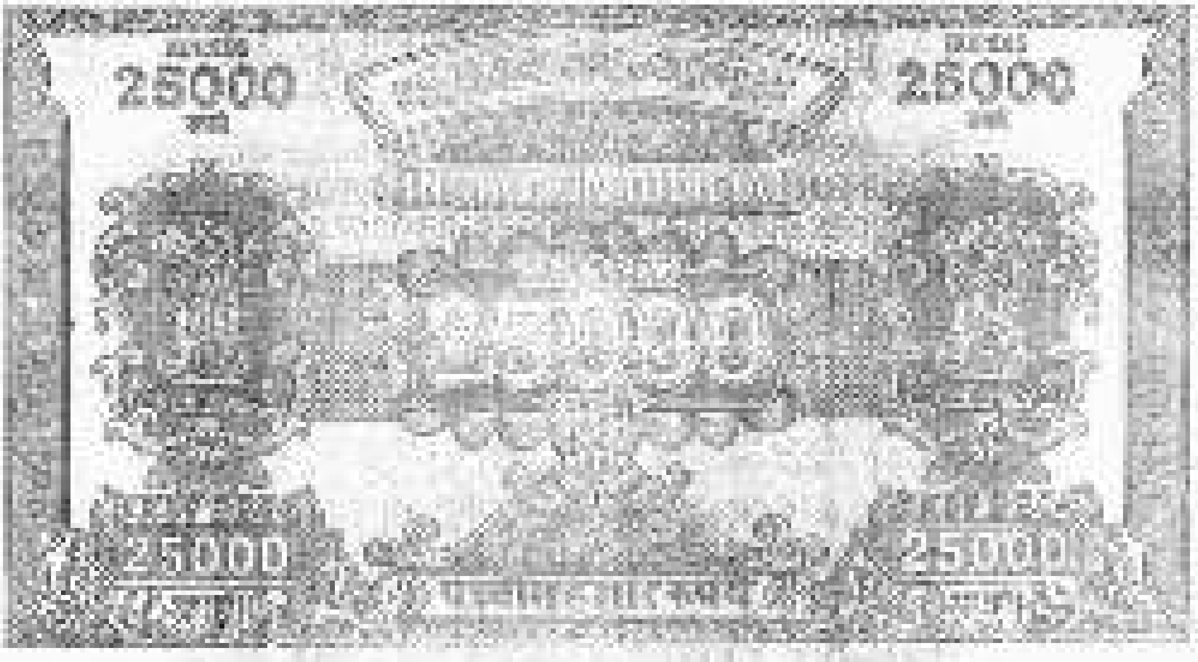

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 430760

- 2 -

6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.906 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू० 46,99,422/-
11.	मालियत	:	रू० 19,81,875/-
12.	स्टाम्प	:	रू० 4,70,000/-

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410767

चौहद्दी

खसरा नं० 710

पूरब	: कृषि भूमि खसरा संख्या-708
पश्चिम	: कृषि भूमि खसरा संख्या-712
उत्तर	: कृषि भूमि खसरा संख्या-714
दक्षिण	: कृषि भूमि खसरा संख्या-709

सावित्री द्विवेदी

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410768

- 4 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण		क्रेता का विवरण
सावित्री उर्फ सरला पत्नी छोटेलाल उर्फ शिवलाल, निवासिनी-ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि		अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), वर्तमान पता-तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। व्यवसाय-व्यापार

सावित्री द्विवेदी

Ansal Properties & Infra...

Authorised Signatory

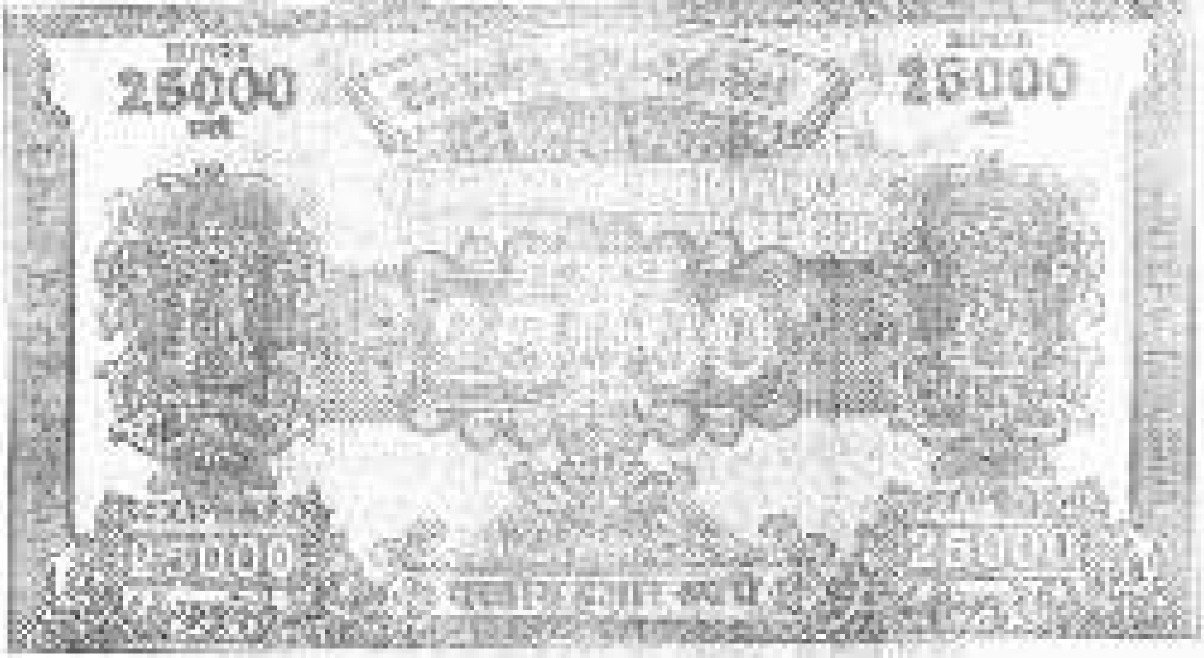

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410769

27 AUG 2008

- 5 -

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख सावित्री उर्फ सरला पत्नी छोटेलाल उर्फ शिवराज, निवासिनी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य),

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410770

वर्तमान पता–तृतीय तल, गाई०एम०एल०सी०एल० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00429, फसली वर्ष 1409 से 1414 के खसरा संख्या–710, रकबा 0.906 हेक्टेयर, स्थित ग्राम अहमामऊ,

सावित्री द्विवेदी

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 410771

परगना, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक काबिज व काबिज है जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा अद्यावत सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या- 00429 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410772

जो कहीं विक्रय, हिबा, अनुबन्ध, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब मजकूर खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 410773

किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 46,99,422/– (रुपया छियालिस लाख निन्यानबे हजार चार सौ बाईस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हस्बा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 410774

क्रेता उपरोक्त का वाकई वसूली करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व निस्बत धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगा, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 430775

न मिले या कहीं विवाद, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये

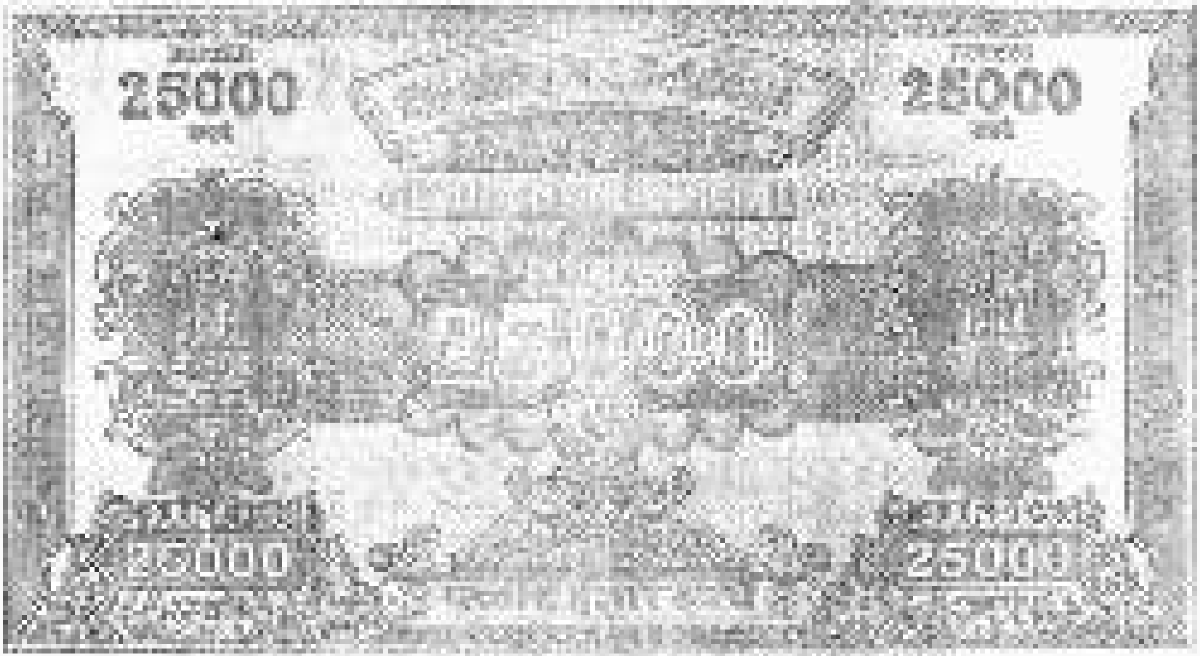

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

470776

न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410777

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 430778

आराजी स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना लखनऊ के अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 17,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, लेकिन यहाँ कम्पनी खरीददार है इसलिए 25 प्रतिशत बढ़ाकर रु० 21,87,500/- प्रति

सावित्री द्विवेदी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 430791

हेक्टेअर होती है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.906 हेक्टेअर भूमि की बाजारू मालियत रु0 19,81,875/– होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अंकन स्टाम्प शुल्क 4,70,000/– को अदा किये जा रहे है।

सावित्री द्विवेदी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410792

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

410793

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु0 46,99,422/- (रुपया छियालिस लाख निन्यानबे हजार चार सौ बाईस मात्र) द्वारा चैक संख्या [illegible] दिनांकित 14.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 410794

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 46,99,422/- (रूपया छियालिस लाख निन्यानबे हजार चार सौ बाईस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

चूंकि विक्रीत सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रू0 30 लाख से अधिक है, क्रेता कम्पनी टैक्स पेई कम्पनी है जिसका पेन कार्ड नं0 **AAACA0006D** है।

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 300432

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विक्रय पत्र

[illegible] 1,492,800.00 5,000.00 [illegible] 5,441.00 2,006

प्रतिफल मालियत [illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

ने यह विलेख इस कार्यालय में दिनांक 31/5/2007 समय [illegible]

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

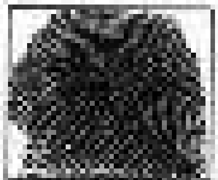

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

31/5/2007

निबंधन लेखपत्र [illegible]

विक्रेता [illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

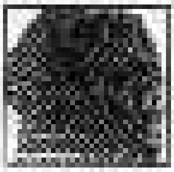

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी 13 [illegible]

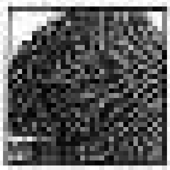

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

ने की।

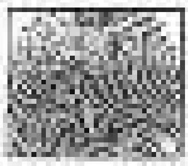

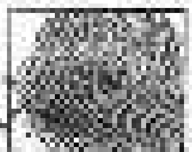

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

31/5/2007

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक- 31.08.2007
लखनऊ
गवाहान:-
क्रेता की पहचान की
1.

विक्रेता

विक्रेता की पहचान की
2.

क्रेता

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(सैय्यद अख्तर हुसैन)
एडवोकेट,

[illegible]

Registration No: 9211 Year: 2020 Book No: I

9101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा – 32 क के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता – [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

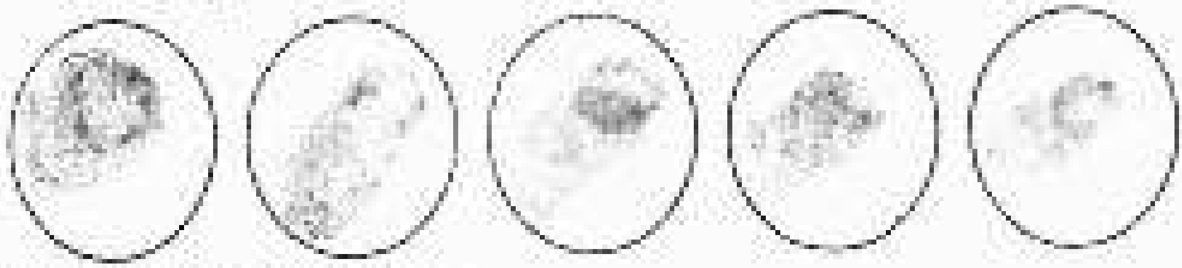

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

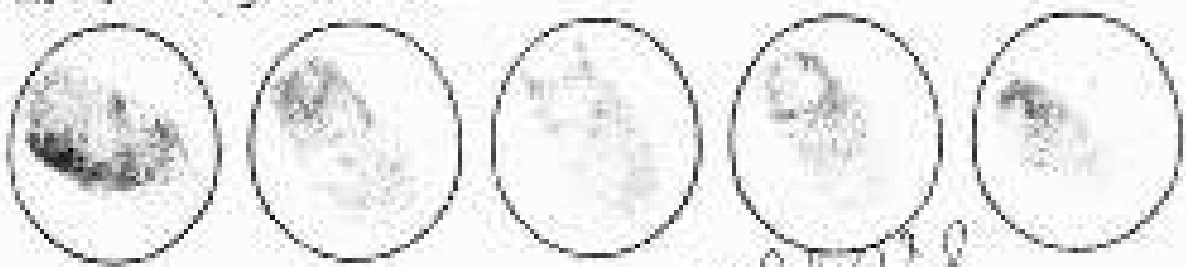

सावित्री द्विवेदी

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/दर्ज नाम व पता – [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

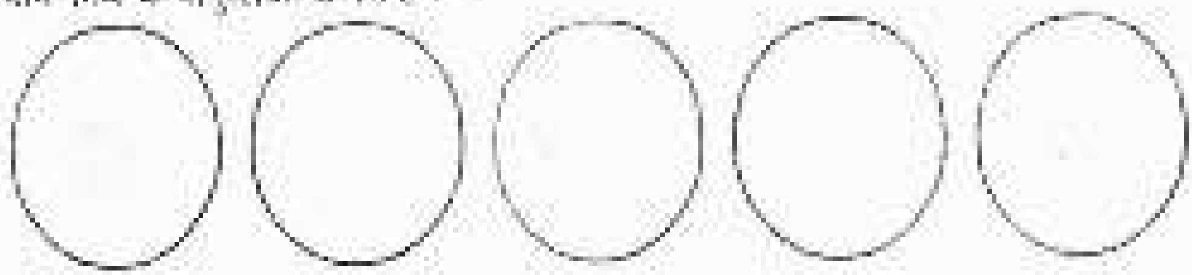

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

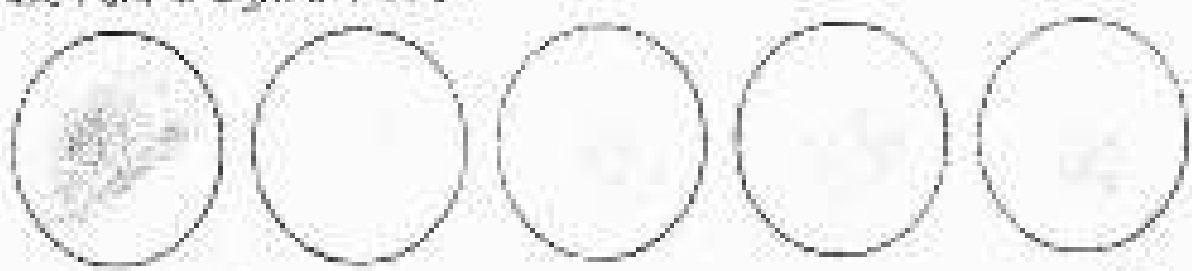

[illegible]

निबंधक/उप निबंधक के हस्ताक्षर

8/21

Registration No. 8231 Year: 2007 Book No. 1

8231 [illegible]
[illegible]
17 [illegible]
[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

[illegible]

दिनांक: 31.08.2007
लखनऊ

गवाहान:-

क्रेता की पहचान की

1. [illegible]

विक्रेता

विक्रेता की पहचान की

[illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट,

[illegible]

Registration No. 5251 Year: 2007 Book No. I

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]